छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक 2049 /2455/2017/1/5 नया रायपुर, दिनांक 28 अगस्त, 2017

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
मंत्रालय, नया रायपुर

विषयः– **औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, भारत सरकार (DIPP) द्वारा Ease of Doing Business 2017 अंतर्गत प्राप्त सुधारों के क्रियान्वयन के अंतर्गत केन्द्रीय निरीक्षण प्रणाली लागू किये जाने हेतु निर्देश।**

संदर्भः– वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के पत्र कमांक एफ 20–22/2017/11/6 दिनांक 21.08.2017

–:0:–

विषयांतर्गत लेख है कि विभिन्न विभागों द्वारा समय–समय पर औद्योगिक संस्थानों के समयबद्ध निरीक्षण किये जाते है। यह निरीक्षण विभिन्न विभागो द्वारा अलग–अलग कालखण्ड/तिथियों में किये जाने से औद्योगिक संस्थानों के दैनंदिनी कार्यो में व्यवधान होता है तथा संस्थान की कार्यक्षमता भी प्रभावित होती है।

2/ व्यवसाय में सरलीकरण के लिए भारत सरकार द्वारा Ease of Doing Business 2017 अंतर्गत विभिन्न सुधारों के क्रियान्वयन का निर्देश दिया गया है। Ease of Doing Business के तहत औद्योगिक इकाईयों में विभिन्न विभागों द्वारा सम्पादित किये जाने वाले समयबद्ध निरीक्षण में दोहराव को दूर कर साथ–साथ सुनिश्चित करने, निरीक्षण के ढांचे में सुधार करने, निरीक्षण में पारदर्शिता लाने एवं विभिन्न विभागों के मध्य निरीक्षण संबंधी जानकारी साझा करने के उद्देश्य से राज्य शासन एतद् द्वारा केन्द्रीय निरीक्षण प्रणाली (Central Inspection System) निर्मित करता है तथा इसके अन्तर्गत केन्द्रीय निरीक्षण एजेंसी (Central Inspection Agency) का गठन किया जाता है।

3/ वर्तमान में केन्द्रीय निरीक्षण संस्थान के लिये श्रम विभाग नोडल विभाग होगा। इस एजेंसी के तहत श्रम विभाग, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग, वाष्पयंत्र निरीक्षक एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा विभिन्न अधिनियमों एवं नियमों के अन्तर्गत सम्पादित किये जाने वाले समस्त अनुपालन निरीक्षण (Compliance Inspection) विनियमित किये जायेंगे।

4/ जिन औद्योगिक इकाईयों का निरीक्षण किया जाना है, उनका कम्प्यूटराईज्ड प्रणाली द्वारा उनका जोखिम की श्रेणी के आधार पर वर्गीकरण किया जावेगा। निरीक्षण का दिनांक,

क्रमशः––2

O/C

समयावधि, निरीक्षण पश्चात् निरीक्षण प्रतिवेदन ऑनलाईन अपलोड करने कार्यवाही Central Inspection System पर किया जावेगा। केन्द्रीय निरीक्षण संस्थान के अंतर्गत आने वाले विभागों के निरीक्षकों द्वारा औद्योगिक इकाईयों के निरीक्षण पश्चात् निरीक्षण प्रतिवेदन अनिवार्यतः 24 घण्टों के भीतर Central Inspection System में ऑनलाईन अपलोड किया जाना आवश्यक होगा।

5/ इन निर्देशों के पालन के लिए संबंधित विभागों द्वारा जारी संबंधित विभागीय नियमों/प्रक्रिया को उपरोक्त वर्णित अनुसार संशोधित समझा जायेगा। औचक निरीक्षण यथा आवश्यक संबंधित विभागाध्यक्ष की अनुमति से किये जा सकेंगे।

6/ संबंधित विभागों के लिए उक्त निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा। भविष्य में Central Inspection System से संयोजित होने वाले अन्य निरीक्षणों के लिए ये निर्देश उनके संयोजन दिनांक से प्रभावशील होगा।

(डी.डी. सिंह) 28/8
सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्र-2050 /2455/2017/1/5 नया रायपुर, दिनांक 28 अगस्त, 2017

प्रतिलिपि :-

1 **अपर मुख्य सचिव,** छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

2 **संचालक,** उद्योग संचालनालय, उद्योग भवन, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित

सचिव, 28/8
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

// आदेश //

नया रायपुर, दिनांक 30 अगस्त 2017

क्रमांक एफ 9–42/2017/1–5 : विभिन्न विभागों में विभागीय कार्यों के संबंध में निरीक्षकों द्वारा आवश्यकतानुसार संस्थानों का निरीक्षण किया जाता है तथा इन निरीक्षण प्रतिवेदनों के आधार पर संबंधित संस्थानों को विभागीय सुविधाये उपलब्ध कराई जाती है।

निरीक्षण प्रक्रिया को जवाबदेह और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से राज्य शासन एतद् द्वारा यह निर्देश देता है कि निरीक्षकों/अधिकारियों द्वारा उपरोक्तानुसार की जाने वाली निरीक्षण प्रक्रिया में जहां लागू हो, एक निरीक्षक किसी संस्थान का लगातार दो बार निरीक्षण नहीं करेगा अर्थात प्रत्येक बार पूर्व में निरीक्षण सम्पादित करने वाले अधिकारी के. स्थान पर अन्य निरीक्षक के माध्यम से निरीक्षण करवाया जाकर विभागीय कार्य सम्पादित किये जायेंगे।

यह आदेश जारी होने की दिनांक से लागू होगा।

(डी.डी.सिंह) 30/8/17
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्रमांक एफ 9–42/2017/1–5 नया रायपुर, दिनांक 30 अगस्त 2017

प्रतिलिपि :–

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर
2. समस्त विभागाध्यक्ष, छत्तीसगढ़
3. समस्त संभागीय आयुक्त, छत्तीसगढ़
4. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़
5. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ ।

सचिव 30/8
छत्तीसगढ़ शासन
सामन्य प्रशासन विभाग